

का डायरी नंबर ५५२० नमूना
मिसल नाम प्रवाली का ५६०५
डा. ५१६, लया परिभाषी सा. ६२३
की लया की बिक्री ६/३/१६ को
पेश करें।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा

६/३/१६

पेश पेश हुई। वकील फीकेन उपरिबन।
आज ०५/०५/१६ को
पत्रावली से प्रार्थना पत्र प्रेषित हेतु
दिनांक ०५/०५/१६ को करें।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

Not Pressed
Resub
1/6/18

4/6/2918

पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट
बडला पर पेश हुई। वकील वादो के द्वारा एक प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत आदेश-23 नियम-1 जाप्ता दिवानी का
प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रतिवादीगण
के विरुद्ध निषेधाज्ञा हेतु पेश किया, उनके विरुद्ध किसी
प्रकार की कोई धोषणात्मक डिग्री नहीं चाही है ऐसे में
सम्पूर्ण वाद में त्रुटि रहने के कारण वादो नये वाद
पेश करने का हक सुरक्षित रखाते हुये, इस वाद को इस
स्तर पर नोट प्रेस करना चाहता है। अन्त में कथन किया
कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर नया वाद
पेश करने का हक सुरक्षित रखाते हुये, इस वाद को
विझो किये जाने की अनुमति प्रदान करवाई जावे।


मेरे वकील वादो को सुना। पत्रावली का
अध्ययन किया। तदनुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार
किया जाकर नया वाद पेश करने का हक सुरक्षित रखाते
हुये इस वाद को विझो किये जाने की अनुमति प्रदान

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाडा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

की जाती है । तथा इसी स्तर पर दावा वादी
नोट प्रेस से खारिज किया जाता है । पत्रावली
शुमार फैशाल होकर दाखिल दफ्तर करे । आदेश
आज दिनांक 4/6/2018 को डाली लोक अदालत
केम्प कोर्ट बडला पर सुनाया गया ।



सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलयाड़ा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official